

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10736 / 5210

दिनांक :- 14/02/2020

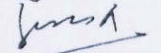
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री रविन्द्र कुमार मीणा [लिंक न. 10736] तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, विधि विभाग, अलवर - [16612] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 25/06/2018 से 06/07/2018 तक 12 दिवस

कुल 12 दिवस

उक्त कुल 12 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री रविन्द्र कुमार मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 23/06/2018, 24/06/2018, 07/07/2018, 08/07/2018 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10736 / 5210

दिनांक :- 17/02/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सहायक निदेशक अभियोजन, विधि विभाग, अलवर
2. कोषाधिकारी अलवर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री रविन्द्र कुमार मीणा [10736] तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, विधि विभाग, अलवर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)